भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3301
सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024 / 25 अग्रहायण, 1946 (शक)

औद्योगिक क्षेत्र के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी

3301. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक क्षेत्र में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग के प्रतिनिधि निकायों के साथ हाल ही में कोई चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उन चर्चाओं का क्या परिणाम रहा;

(ग) क्या इस संबंध में कोई संगोष्ठी भी आयोजित की गई थी; और

(घ) क्या सरकार इस विषय पर कोई कानून लाने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय नियमित रूप से कर्मचारियों, नियोक्ताओं और उद्योग संघों के प्रतिनिधि निकायों के साथ बातचीत करता है। बैठकों के दौरान औद्योगिक संबंधों और प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में नियोक्ता और कामगारों के बीच विवादों के समाधान के लिए मैत्री और अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने हेतु कार्य समिति और शिकायत निवारण समिति के गठन के उपबंध हैं।

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में द्विपक्षीय समितियों और वार्ता संघ या वार्ता परिषद के गठन के भी उपबंध हैं।

*****